केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18–संस्थागत एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग
18 INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI -110016
Telephone No -011-26858570

11-Aud0Misc(KVHQ)/1/2024-Audit11/20 दिनांक: 09.04.2026

उपायुक्त/निदेशक
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जिट्स
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

विषय: केवीएस ऑडिट मैनुअल के संकलन हेतु सुझाव आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा एक व्यापक ऑडिट मैनुअल तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया जा सके, आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाया जा सके, ऑडिट कार्यप्रणालियों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके तथा संगठन में आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

2. चूँकि प्रस्तावित ऑडिट मैनुअल का उद्देश्य केवीएस मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, जिट्स तथा विद्यालयों में ऑडिट संबंधी गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शक एवं संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करना है, अतः इस संबंध में सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव/ टिप्पणियाँ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इनमें प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा/लेखा संबंधी कार्य से जुड़े कार्मिक तथा ऑडिट, वित्तीय प्रबंधन, अभिलेख संधारण, स्थापना अथवा संबंधित प्रशासनिक कार्यों से जुड़े अन्य अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं। इस संबंध में सुझाव/टिप्पणियाँ निम्नलिखित बिंदुओं पर आमंत्रित की जाती हैं:

- ऑडिट मैनुअल में सम्मिलित किए जाने वाले विषय/अध्याय।
- ऑडिट संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार/पुनर्संरचना।
- उदाहरणों/दृष्टांतों का समावेश।
- प्रारूपों/फॉर्म्स/प्रोफॉर्मा/चेकलिस्ट का समावेश।
- ऑडिट रिपोर्ट की संरचना/विषय-वस्तु।
- ऑडिट मेमो की संरचना/विषय-वस्तु।
- ऑडिट जांच, ऑडिट टिप्पणियाँ, प्रत्युत्तर, अनुपालन अनुश्रवण, पैरा निस्तारण आदि हेतु मानक/नियत प्रोफॉर्मा।
- केवीएस में ऑडिट व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कोई अन्य व्यावहारिक सुझाव।

3. प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों का संकलन कर उन्हें केवीएस (मुख्यालय) को ई-मेल (dc-finance@kvs.gov.in) के माध्यम से दिनांक 20.05.2026 तक प्रेषित किया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

09.04.26

(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केवीएस के निजी सचिव – सूचना हेतु।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), केवीएस के निजी सचिव – सूचना हेतु।
3. अपर आयुक्त (शैक्षणिक), केवीएस के निजी सचिव – सूचना हेतु।
4. सभी संयुक्त आयुक्त, केवीएस।